

विक्रय पत्र का संक्षिप्त विवरण

- 1- भूमि की प्रकृति व प्रकार-(प्लॉट आवासीय)
- 2- वी-कोड-....
- 3- मौहल्ला/ग्राम-आवासीय कालोनी हदबस्त ग्राम
टीला शहबाजपुर परगना व तहसील लोनी जिला
गाजियाबाद
- 4- सम्पत्ति का विवरण-प्लॉट नम्बर-1, सम्बन्धित खसरा
नम्बर-606
- 5- सड़क की स्थिति-सड़क 7.5 मीटर चौड़ी
- 6- टू-साईड रोड-नहीं
- 5- पार्क फेसिंग-.....
- 6- प्लॉट का क्षेत्रफल-106.85 वर्गगज यानि 89.34 वर्गमीटर
- 7- प्लॉट की निर्धारित आवासीय दर-..../-रूपये प्रतिवर्गमीटर
- 8- प्लॉट का सैक्टर रेट के अनुसार मूल्य-...../-रूपये
- 9- प्रतिफल की धनराशि-...../-रूपये

सीमायें विक्रय प्लॉट-(पैमायशी 19 फुट 7 सही 1/2 इंच
गुना 48 फुट 10 सही 1/2 इंच

पूरब-....

पश्चिम-....

उत्तर-....

दक्षिण-....

विक्रय पत्र अंकन-...../-रूपये का।

स्टाम्प अंकन-...../-रूपये का।

स्टाम्प ड्यूटी उ0प्र0 सरकार संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-5, अधिसूचना संख्या-वि0क0नि0-5-2756/11-2008-500 (165)/2007 लखनऊ दिनांक 30-जून-2008 के अनुसार 7 प्रतिशत के हिसाब से अदा की गयी है।

विवरण विक्रय प्लॉट:-

एक फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट नम्बर-1, क्षेत्रफल-106.85 वर्गगज यानि 89.34 वर्गमीटर निम्नसीमा सम्बन्धित खसरा नम्बर-606, स्थित आवासीय कालोनी हदबस्त ग्राम टीला शहबाजपुर परगना व तहसील लोनी जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) जिसका पूर्व में कोई इकरारनामा महायदाबय पंजीकृत नहीं हुआ है। विक्रय प्लॉट खाली है कोई निर्माण नहीं है। विक्रय प्लॉट आवासीय है तथा आवासीय प्रयोजन हेतु विक्रय है। विक्रय प्लॉट का नक्शा दस्तावेज के साथ संलग्न है जो कि इस विक्रय पत्र का भाग है। उपरोक्त कालोनी का ले-आउट प्लान जी.डी.ए. गाजियाबाद द्वारा पत्र सं0-..... दिनांक.....के द्वारा स्वीकृत है।

हम कि मैसर्स पृथ्वीलिंग डवलपर्स प्रा0लि0 (PAN of Company-.....) आफिस..... द्वारा डायरेक्टर श्री नितिन राज कोचर पुत्र श्री..... निवासी..... प्रथमपक्ष (विक्रेता/कम्पनी)।

एवं

श्री(PAN-----) पुत्र श्री निवासी
.....द्वितीयपक्ष (क्रेता)।

इस विक्रय पत्र में दोनो पक्षों के समस्त उत्तराधिकारीगण, न्यायायिक एवं वैधानिक प्रतिनिधिगण भी सम्मिलित समझे जावेंगे। विदित हो कि वर्णित प्लॉट की प्रथमपक्ष विक्रेता कम्पनी मालिक, काबिज, स्वामी व संक्रमणीय भूमिधर है। वर्णित प्लॉट को मुझ निष्पादक को विक्रेता कम्पनी की तरफ से विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है। विक्रय करने में कोई वैधानिक दोष व त्रुटि नहीं है। उपरोक्त प्लॉट आज दिन तक हर प्रकार के भार बन्धक से मुक्त है अन्य कहीं आड, रहन, बय, हिबै, महायदाबय, जमानत, बैंक लोन, आदि में ग्रस्त नहीं है। हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है। अतः अब मैंने उपरोक्त प्लॉट को अपनी खुशी रजामन्दी व समस्त स्वस्थ इन्द्रियो की दशा मे मय तमामी हकूक मालिकाना दाखली व खारजी हर किस्म मय कब्जा आदि सहित आज की तारीख में बदले अंकन-...../-रूपये (..... रूपये) में हाथ द्वितीयपक्ष उपरोक्त के विक्रय कतई कर दिया तथा बेच दिया और कुल कीमत द्वितीयपक्ष से प्राप्त कर ली है (जिसका विवरण विक्रय पत्र के अन्त में दिया गया है)। बाबत कीमत कुछ बाकी नहीं रहा है। अब इकरार यह कि उपरोक्त प्लॉट की मिलकियत उसके मूल्यधन तथा किसी अंग से प्रथमपक्ष कम्पनी तथा निष्पादक का कोई सम्बन्ध बाकी नहीं रहा है। विक्रय प्लॉट का कब्जा मौके पर पूर्ण

व वास्तविक रूप से द्वितीयपक्ष को करा दिया है। अब द्वितीयपक्ष उपरोक्त प्लॉट के पूर्ण रूप से मालिक, काबिज व स्वामी बन गये हैं जिस प्रकार चाहें अपने प्रयोग मालिकाना में लाकर लाभ उठावें, किसी को विक्रय करे, दान करे, जी.डी.ए. /सम्बन्धित विभाग से मानचित्र स्वीकृत करावें, प्लॉट पर भवन निर्माण करावे, ऋण लेवे इसमें प्रथमपक्ष कम्पनी तथा निष्पादक को कोई आपत्ति नहीं होगी। सम्बन्धित विभागों में द्वितीयपक्ष अपना नाम इस विक्रय पत्र के आधार पर स्वयं दर्ज करा लें इस सम्बन्ध में जहां कहीं भी निष्पादक के हस्ताक्षर आदि की आवश्यकता होगी मैं सहर्ष करूंगा। आस पास की भूमि का भाव कम है। विक्रय प्लॉट ग्राम समाज, भू-दान, पट्टे व वक्फ आदि का नहीं है। अगर विक्रेता कम्पनी के मालिकाना, काबिजाना अधिकारों में किसी त्रुटि के कारण या वारसान विक्रेता कम्पनी की दायेदारी के कारण या विक्रेता कम्पनी की अन्य किसी भी कमी के कारण या मुझ निष्पादक को विक्रय करने के अधिकार न होने के कारण विक्रय प्लॉट उपरोक्त कुल अथवा उसका कोई अंश द्वितीयपक्ष के कब्जे मालिकाना से निकल जावेगा तो द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि वह कब्जे से निकल जाने वाली सम्पत्ति का अपना समस्त रूपया मये निर्माण लागत मये हर्जा खर्चा मये क्षति आर्थिक मये सूद कानूनी के हिसाब से विक्रेता कम्पनी या वारसान विक्रेता कम्पनी की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहें वसूल कर लें। विक्रय प्लॉट का अधिवक्ता/दस्तावेज लेखक ने मौके पर जाकर मौका मुआयना

नही किया है यह विक्रय पत्र दोनो पक्षों के कथनानुसार तथा प्रस्तुत कागजों के आधार पर तथा दोनो पक्षों के द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर तहरीर किया गया है। दोनो पक्षों तथा गवाहों की फोटो इनके द्वारा दिखाये गये परिचय पत्रों के आधार पर प्रमाणित किये गये हैं। विक्रय पत्र का समस्त खर्चा **द्वितीयपक्ष** ने वहन किया है। प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष ने पढकर, सुनकर व समझकर विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं।

अतः यह विक्रय पत्र कतई लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

विवरण विक्रय धनराशि प्राप्ती का-

अंकन-

इस प्रकार द्वितीयपक्ष से कुल कीमत प्राप्त कर ली है बाबत कीमत कुछ बाकी नहीं रहा है।

फोटो गवाह-1

फोटो गवाह-2

गवाह-

गवाह-

दिनांक-18-08-2023 मसौदा परेश चौधरी (दस्तावेज लेखक
लाईसेन्स नं0-328/2022) चैम्बर नम्बर-71, तहसील कम्पाउन्ड
गाजियाबाद